ज्ञापांक–1598/तक0 / 2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–03वीं जून 2021

सेवा में,

Arcon Const. Pvt. Ltd. Thro Director Devansh Gadodia,
And Smt. Anita Gadodia Anjana Khemka, Raj Kishor Prasad,
And Shyam Kishor Prasad,
SS Memorial Collage kanke Road Gonda, Ranchi.

विषयः– **मौजा–Mishirgonda, प्लॉट नं0–1827, खाता नं0–359, वार्ड नं0–01, थाना–कांके, जिला–राँची में प्रस्तावित व्यावसायिक B+G+8 भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–270 दिनांक–02.06.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया वाला एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट एवं व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। स्प्रिंकलर के लिए अलग से पाईप मेन का संस्थापन किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Addresable Type स्मोक डिटेक्शन से सुरक्षित किया जाय।
9. 2850 Lpm क्षमता वाले एक अदद फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. 900 Lpm का टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. 180 Lpm जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
13. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
14. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
15. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।

16. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
17. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 एवं 04.5 के0जी0 क्षमता के सी0ओ0टू0 02-02 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवन Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस मानक से अधिक नहीं हो।
19. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
21. सेट बेक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
22. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निषमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
24. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवन के सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
26. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
27. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
28. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
29. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=[illegible], postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=[illegible], cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.06.03 12:32:11 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।